भारत सरकार
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

**राज्य सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या 2584**

जिसका उत्तर मंगलवार, 11 अगस्त, 2026/20 श्रावण, 1948 (शक) को दिया जाना है।

**सब्सिडीयुक्त उर्वरकों की उपलब्धता और समयबद्ध आपूर्ति**

**2584 श्री एल. के. सुधीश:**
**श्री संदोष कुमार पी:**

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चालू कृषि मौसम के दौरान किसानों को यूरिया, डीएपी, एनपीके तथा अन्य प्रमुख सब्सिडीयुक्त उर्वरकों की उपलब्धता तथा समयबद्ध आपूर्ति का आकलन किया है;
(ख) यदि हां, तो केरल के विशेष संदर्भ में चालू मौसम के दौरान उर्वरकों की राज्य-वार आवश्यकता, आवंटन तथा आपूर्ति सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या विगत दो वर्षों के दौरान उर्वरक आपूर्ति में किसी कमी अथवा विलंब की रिपोर्ट प्राप्त हुई है तथा इसके क्या कारण हैं; और
(घ) किफायती तथा अधिसूचित मूल्यों पर उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा कालाबाजारी एवं अपवर्जन रोकने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

**उत्तर**

**रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री**
**(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)**

**(क) से (घ):** उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और प्रत्येक फसल मौसम के दौरान किसी प्रकार की कमी को दूर करने के लिए सरकार केरल राज्य सहित देश भर में निम्नलिखित उपाय करती है:

(i) प्रत्येक फसल मौसम के प्रारंभ होने से पूर्व कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू) सभी राज्य सरकारों के परामर्श से उर्वरकों की राज्य-वार और माह-वार आवश्यकता का आकलन करता है। डीएएंडएफडब्ल्यू द्वारा अनुमानित आवश्यकता के आधार पर, उर्वरक विभाग मासिक आपूर्ति योजना जारी करते हुए राज्यों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों का आवंटन करता है और उपलब्धता की लगातार निगरानी करता है।

(ii) देश भर में सब्सिडी प्राप्त सभी प्रमुख उर्वरकों के संचलन की निगरानी एकीकृत उर्वरक प्रबंधन प्रणाली (आईएफएमएस) नामक एक ऑनलाइन वेब आधारित निगरानी प्रणाली द्वारा की जाती है।

(iii) यूरिया और अन्य उर्वरकों की मांग (आवश्यकता) और उत्पादन के अंतर को आयात द्वारा पूरा किया जाता है। मौसम के लिए आयात को पहले ही निश्चित कर लिया जाता है ताकि समय पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

(iv) राज्य सरकारों को नियमित रूप से सलाह दी जाती है कि वे समय पर मांगपत्र जारी करके आपूर्ति को सुव्यवस्थित करने के लिए उत्पादकों और आयातकों के साथ समन्वय स्थापित करें।

(v) राज्यों के लिए रेलगाड़ियों में पर्याप्त रैक देने, उर्वरकों को प्राथमिकता देने और रेलगाड़ियों की समय पर निकासी के लिए रेल मंत्रालय के साथ नियमित समन्वय किया जाता है।

(vi) राज्य के भीतर जिला स्तर पर उर्वरकों का वितरण संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है।

उपर्युक्त के आलोक में, चल रहे खरीफ मौसम 2026 के दौरान केरल राज्य सहित सभी राज्यों में यूरिया, डीएपी, एमओपी तथा एनपीकेएस उर्वरकों की उपलब्धता पर्याप्त बनी हुई है। गत दो वर्षों तथा चल रहे मौसम के दौरान इन उर्वरकों की राज्य-वार आवश्यकता, उपलब्धता एवं बिक्री से संबंधित जानकारी **अनुलग्नक-क** में दी गई है।

इसके अतिरिक्त, यूरिया सब्सिडी स्कीम के अंतर्गत, किसानों को यूरिया वैधानिक रूप से अधिसूचित अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) पर उपलब्ध कराया जाता है। यूरिया के 45 किलोग्राम बोरी की एमआरपी ₹242 (नीम लेपन से संबंधित शुल्क तथा लागू करों को छोड़कर) प्रति बोरी है। फार्म गेट पर यूरिया की सुपुर्दगी लागत और यूरिया इकाइयों द्वारा निवल बाजार प्राप्ति के बीच का अंतर भारत सरकार द्वारा यूरिया उत्पादक/आयातक को सब्सिडी के रूप में दिया जाता है। तदनुसार, देश के सभी किसानों को सब्सिडी प्राप्त दरों पर यूरिया की आपूर्ति की जा रही है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने फॉस्फेटयुक्त एवं पोटाशयुक्त (पीएंडके) उर्वरकों के लिए दिनांक 01.04.2010 से पोषक तत्त्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) स्कीम लागू की है। एनबीएस नीति के अंतर्गत, फॉस्फेटयुक्त एवं पोटाशयुक्त उर्वरकों के अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) को नियंत्रण-मुक्त रखा गया है तथा कंपनियाँ अपनी व्यावसायिक उतार-चढ़ाव के अनुसार उचित स्तर पर एमआरपी निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं। किसानों को उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, मौसम के दौरान पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) पर की गई बिक्री के आधार पर, उनमें निहित पोषक तत्त्वों की मात्रा के अनुसार उत्पादक/आयातक को अधिसूचित फॉस्फेटयुक्त एवं पोटाशयुक्त उर्वरकों पर एनबीएस सब्सिडी प्रदान की जाती है। फॉस्फेटयुक्त एवं पोटाशयुक्त उर्वरकों के लिए एनबीएस दरें निर्धारित करते समय प्रमुख उर्वरकों एवं कच्चे माल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में उतार-चढ़ाव को ध्यान में रखा जाता है, ताकि उर्वरक किसानों के लिए वहनीय बने रहें।

डीएपी, जोकि एक प्रमुख उर्वरक है, को ₹1,350 प्रति 50 किलोग्राम बैग के वहनीय मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिए, खरीफ 2026 मौसम हेतु एनबीएस सब्सिडी के अतिरिक्त, आयातित एवं घरेलू डीएपी तथा आयातित टीएसपी, दोनों के लिए ₹3,500 प्रति मीट्रिक टन की विशेष व्यवस्था की गई है, जिसमें 'अन्य लागतें' शामिल हैं। इसमें फैक्ट्री गेट से फार्म गेट तक होने वाली लागत, अंतरराष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि/कमी के कारण होने वाला लाभ/हानि, एमआरपी में शामिल जीएसटी घटक का प्रावधान तथा शुद्ध एमआरपी (MRP-GST) के 4% की दर से उचित प्रतिफल का प्रावधान शामिल है, ताकि उर्वरकों की कीमतों को स्थिर रखा जा सके।

इसके अतिरिक्त, कालाबाजारी, विपथन तथा अन्य कदाचारों से निपटने के लिए, उर्वरकों को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत आवश्यक वस्तु घोषित किया गया है तथा उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है। आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, ऐसे कदाचारों में शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकारों को पर्याप्त रूप से सशक्त किया गया है। इन कदाचारों के संबंध में उर्वरक विभाग के स्तर पर प्राप्त होने वाली किसी भी शिकायत को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 तथा उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के अंतर्गत उचित कार्रवाई करने हेतु संबंधित राज्य सरकार को भेजा जाता है।

इसके अलावा, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, राज्य सरकारों के परामर्श से, कालाबाजारी, जमाखोरी, अवमानक (Sub-standard) तथा विपथन के मामलों में राज्यों द्वारा की गई प्रवर्तन कार्रवाई की साप्ताहिक आधार पर नियमित निगरानी करता है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, अप्रैल 2026 से जुलाई 2026 (31.07.2026 तक) की अवधि के दौरान केरल राज्य सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उक्त कदाचारों में संलिप्त दोषियों के विरुद्ध जारी किए गए कारण बताओ नोटिसों, निलंबित/निरस्त किए गए लाइसेंसों तथा दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्टों (FIRs) की संख्या **अनुलग्नक-ख** में दी गई है।

*******

अनुलग्नक-क

**यह अनुलग्नक 11.08.2026 के राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं.2584 के उत्तर के भाग (क) से (घ) तक के लिए है।**

**वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान उर्वरकों की आवश्यकता, उपलब्धता और डीबीटी बिक्री**

आकडे एलएमटी में

| | | यूरिया | | | डीएपी | | | एमओपी | | | एनपीकेएस | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्रम.सं | राज्य | आवश्यकता | उपलब्धता | डीबीटी बिक्री | आवश्यकता | उपलब्धता | डीबीटी बिक्री | आवश्यकता | उपलब्धता | डीबीटी बिक्री | आवश्यकता | उपलब्धता | डीबीटी बिक्री |
| 1 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 15.90 | 18.68 | 15.70 | 4.30 | 4.80 | 4.34 | 1.50 | 2.38 | 1.71 | 16.00 | 18.36 | 15.78 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | असम | 3.28 | 4.48 | 4.10 | 0.61 | 0.70 | 0.62 | 0.47 | 0.80 | 0.57 | 0.55 | 0.63 | 0.48 |
| 5 | बिहार | 22.87 | 27.64 | 25.60 | 5.50 | 6.40 | 5.83 | 1.50 | 2.54 | 1.84 | 6.00 | 7.46 | 6.04 |
| 6 | चंडीगढ़ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | छत्तीसगढ | 8.90 | 12.03 | 10.07 | 4.10 | 4.19 | 3.83 | 0.73 | 1.13 | 0.76 | 1.80 | 2.84 | 2.34 |
| 8 | दादरा और नगर | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | दमन और दीव | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | दिल्ली | 0.23 | 0.43 | 0.40 | 0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | गोवा | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| 12 | गुजरात | 25.60 | 25.82 | 24.23 | 6.25 | 5.84 | 5.42 | 0.99 | 1.18 | 0.92 | 7.00 | 9.98 | 8.35 |
| 13 | हरियाणा | 21.50 | 25.32 | 22.65 | 5.80 | 5.49 | 5.34 | 0.60 | 0.74 | 0.47 | 1.70 | 1.31 | 1.03 |
| 14 | हिमाचल प्रदेश | 0.71 | 0.81 | 0.65 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.37 | 0.41 | 0.32 |
| 15 | जम्मू और कश्मीर | 1.48 | 2.05 | 1.36 | 0.49 | 0.58 | 0.43 | 0.22 | 0.26 | 0.14 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
| 16 | झारखंड | 2.65 | 4.11 | 3.73 | 0.90 | 0.87 | 0.84 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.65 | 1.08 | 0.85 |
| 17 | कर्नाटक | 17.25 | 22.63 | 19.17 | 5.64 | 6.55 | 5.86 | 1.95 | 3.08 | 2.21 | 16.20 | 25.46 | 20.90 |
| 18 | केरल | 1.11 | 1.37 | 1.15 | 0.17 | 0.21 | 0.20 | 0.82 | 1.06 | 0.83 | 1.37 | 1.50 | 1.26 |
| 19 | लक्षद्वीप | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | मध्य प्रदेश | 35.38 | 42.43 | 38.09 | 16.57 | 12.70 | 11.66 | 1.05 | 1.59 | 1.08 | 8.50 | 11.94 | 9.77 |
| 21 | महाराष्ट्र | 23.73 | 32.72 | 26.41 | 7.50 | 7.13 | 6.47 | 2.30 | 3.45 | 2.22 | 30.00 | 37.86 | 28.79 |
| 22 | मणिपुर | 0.25 | 0.16 | 0.14 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 23 | मेघालय | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | मिजोरम | 0.08 | 0.25 | 0.20 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | नगालैंड | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | ओडिशा | 6.05 | 8.15 | 6.67 | 2.86 | 2.83 | 2.56 | 0.85 | 1.11 | 0.77 | 2.75 | 4.04 | 3.28 |
| 27 | पुदुचेरी | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.07 | 0.11 | 0.08 |
| 28 | पंजाब | 26.50 | 36.70 | 32.56 | 8.10 | 6.99 | 6.61 | 1.00 | 1.06 | 0.71 | 2.50 | 1.73 | 1.41 |
| 29 | राजस्थान | 26.20 | 29.43 | 26.40 | 8.50 | 7.11 | 6.90 | 0.21 | 0.28 | 0.20 | 2.25 | 3.04 | 2.55 |
| 30 | सिक्किम | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | तमिलनाडु | 10.91 | 12.61 | 10.92 | 2.70 | 2.98 | 2.56 | 2.24 | 2.56 | 1.94 | 10.54 | 10.19 | 8.49 |
| 32 | तेलंगाना | 20.20 | 22.15 | 20.08 | 3.90 | 3.91 | 3.64 | 1.30 | 1.44 | 1.14 | 17.00 | 17.54 | 14.97 |
| 33 | त्रिपुरा | 0.18 | 0.24 | 0.17 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| 34 | उत्तराखंड | 2.03 | 2.60 | 2.31 | 0.30 | 0.52 | 0.40 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.40 | 0.28 | 0.21 |
| 35 | उत्तर प्रदेश | 77.00 | 91.72 | 79.18 | 24.05 | 21.55 | 19.51 | 1.72 | 2.50 | 1.76 | 14.50 | 12.85 | 10.50 |
| 36 | पश्चिम बंगाल | 13.80 | 19.05 | 15.77 | 3.55 | 3.62 | 3.12 | 2.50 | 3.41 | 2.57 | 11.00 | 15.25 | 12.24 |
| | **अखिल भारत** | **364.01** | **443.83** | **387.92** | **111.92** | **105.14** | **96.29** | **22.21** | **30.85** | **22.02** | **151.29** | **183.98** | **149.72** |

यह अनुलग्नक 11.08.2026 के राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं.2584 के उत्तर के भाग (क) से (घ) तक के लिए है।

**वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान उर्वरकों की आवश्यकता, उपलब्धता और डीबीटी बिक्री**

आंकडे एलएमटी में

| | | यूरिया | | | डीएपी | | | एमओपी | | | एनपीकेएस | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्रम.सं | राज्य | आवश्यकता | उपलब्धता | डीबीटी बिक्री | आवश्यकता | उपलब्धता | डीबीटी बिक्री | आवश्यकता | उपलब्धता | डीबीटी बिक्री | आवश्यकता | उपलब्धता | डीबीटी बिक्री |
| 1 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 15.60 | 19.22 | 17.06 | 4.80 | 6.32 | 5.45 | 1.70 | 2.22 | 1.82 | 15.80 | 19.06 | 15.59 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | असम | 3.35 | 5.13 | 4.60 | 0.56 | 0.95 | 0.72 | 0.57 | 0.78 | 0.55 | 0.58 | 0.55 | 0.40 |
| 5 | बिहार | 23.82 | 28.12 | 25.33 | 6.10 | 8.04 | 6.57 | 2.00 | 2.23 | 1.80 | 6.00 | 8.01 | 5.89 |
| 6 | चंडीगढ़ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | छतीसगढ | 10.00 | 12.41 | 9.81 | 4.10 | 4.29 | 3.25 | 1.10 | 1.33 | 0.82 | 2.40 | 4.34 | 2.57 |
| 8 | दादरा और नगर | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | दमन और दीव | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | दिल्ली | 0.26 | 0.25 | 0.21 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | गोवा | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 12 | गुजरात | 25.02 | 25.95 | 23.99 | 6.30 | 5.82 | 5.32 | 1.09 | 1.16 | 0.95 | 7.45 | 10.18 | 8.28 |
| 13 | हरियाणा | 21.67 | 26.08 | 23.20 | 5.53 | 6.10 | 5.46 | 0.58 | 0.67 | 0.44 | 1.57 | 1.10 | 0.82 |
| 14 | हिमाचल प्रदेश | 0.66 | 0.94 | 0.79 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.41 | 0.37 | 0.28 |
| 15 | जम्मू और कश्मीर | 1.46 | 2.24 | 1.60 | 0.46 | 0.61 | 0.43 | 0.21 | 0.35 | 0.21 | 0.03 | 0.06 | 0.02 |
| 16 | झारखंड | 2.90 | 3.73 | 3.22 | 0.80 | 1.13 | 0.93 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.65 | 1.02 | 0.76 |
| 17 | कर्नाटक | 18.77 | 21.55 | 18.85 | 5.98 | 7.79 | 6.09 | 2.27 | 3.25 | 2.46 | 17.10 | 27.20 | 21.35 |
| 18 | केरल | 1.14 | 1.30 | 1.14 | 0.20 | 0.31 | 0.22 | 0.90 | 1.07 | 0.87 | 1.30 | 1.60 | 1.25 |
| 19 | लक्षद्वीप | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | मध्य प्रदेश | 40.42 | 47.16 | 42.43 | 15.00 | 13.09 | 11.47 | 1.50 | 1.51 | 1.08 | 16.50 | 14.70 | 11.16 |
| 21 | महाराष्ट्र | 26.77 | 32.37 | 27.27 | 7.20 | 8.06 | 5.81 | 2.70 | 3.37 | 2.55 | 30.00 | 41.95 | 29.63 |
| 22 | मणिपुर | 0.20 | 0.24 | 0.19 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 23 | मेघालय | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | मिजोरम | 0.07 | 0.11 | 0.11 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | नगालैंड | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | ओडिशा | 6.20 | 8.94 | 7.26 | 2.75 | 3.42 | 2.78 | 0.85 | 1.11 | 0.74 | 3.30 | 4.39 | 3.57 |
| 27 | पुदुचेरी | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.09 | 0.11 | 0.08 |
| 28 | पंजाब | 29.92 | 35.36 | 31.39 | 7.35 | 8.13 | 6.66 | 1.10 | 1.02 | 0.61 | 2.00 | 1.67 | 1.29 |
| 29 | राजस्थान | 25.52 | 31.94 | 28.05 | 8.43 | 8.61 | 7.80 | 0.20 | 0.23 | 0.18 | 3.00 | 3.24 | 2.56 |
| 30 | सिक्किम | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | तमिलनाडु | 10.87 | 12.80 | 11.43 | 2.95 | 3.46 | 2.89 | 2.60 | 2.35 | 2.02 | 9.25 | 11.08 | 8.73 |
| 32 | तेलंगाना | 20.20 | 21.80 | 20.94 | 3.85 | 4.92 | 4.38 | 1.20 | 1.38 | 1.04 | 17.00 | 18.44 | 14.74 |
| 33 | त्रिपुरा | 0.18 | 0.24 | 0.17 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.03 |
| 34 | उत्तराखंड | 2.01 | 2.49 | 2.21 | 0.30 | 0.67 | 0.48 | 0.07 | 0.09 | 0.04 | 0.35 | 0.21 | 0.17 |
| 35 | उत्तर प्रदेश | 79.92 | 91.75 | 80.37 | 24.00 | 25.30 | 20.25 | 2.75 | 2.89 | 1.91 | 12.50 | 14.80 | 10.01 |
| 36 | पश्चिम बंगाल | 14.30 | 18.43 | 14.76 | 3.59 | 4.47 | 3.65 | 3.20 | 3.35 | 2.34 | 11.10 | 14.80 | 11.14 |
| | **अखिल भारत** | **381.45** | **450.79** | **396.60** | **110.42** | **121.72** | **100.80** | **26.82** | **30.58** | **22.56** | **158.49** | **198.97** | **150.37** |

**यह अनुलग्नक 11.08.2026 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं.2584 के उत्तर के भाग (क) से (घ) तक के लिए है।**

**चल रहे खरीफ़ मौसम 2026 (01.04.2026 से 05.08.2026 तक) के दौरान उर्वरकों की राज्यवार आवश्यकता, उपलब्धता, डीबीटी बिक्री और अंतिम स्टॉक**

आंकड़े एलएमटी में

| | | यूरिया | | | | डीएपी | | | | एमओपी | | | | एनपीकेएस | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्र.सं | राज्य | आवश्यकता | उपलब्धता | डीबीटी बिक्री | 05.08.26 के अनुसार अंतिम स्टॉक | आवश्यकता | उपलब्धता | डीबीटी बिक्री | 05.08.26 के अनुसार अंतिम स्टॉक | आवश्यकता | उपलब्धता | डीबीटी बिक्री | 05.08.26 के अनुसार अंतिम स्टॉक | आवश्यकता | उपलब्धता | डीबीटी बिक्री | 05.08.26 के अनुसार अंतिम स्टॉक |
| 1 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 4.19 | 7.00 | 3.29 | 3.71 | 0.98 | 1.92 | 1.05 | 0.86 | 0.47 | 0.81 | 0.37 | 0.45 | 2.56 | 7.12 | 3.11 | 4.02 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | असम | 1.41 | 2.23 | 1.87 | 0.37 | 0.23 | 0.43 | 0.30 | 0.13 | 0.15 | 0.43 | 0.23 | 0.20 | 0.15 | 0.28 | 0.12 | 0.16 |
| 5 | बिहार | 5.52 | 8.99 | 4.78 | 4.20 | 1.74 | 2.50 | 1.14 | 1.36 | 0.91 | 0.86 | 0.16 | 0.70 | 2.06 | 3.47 | 0.94 | 2.52 |
| 6 | चंडीगढ़ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | छतीसगढ़ | 6.19 | 7.77 | 5.69 | 2.08 | 2.62 | 2.16 | 1.62 | 0.53 | 0.66 | 0.87 | 0.55 | 0.32 | 2.12 | 2.40 | 1.71 | 0.69 |
| 8 | दादरा और नगर हवेली | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | दमन और दीव | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | दिल्ली | 0.02 | 0.10 | 0.09 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | गोवा | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| 12 | गुजरात | 7.00 | 9.36 | 7.02 | 2.34 | 2.65 | 2.36 | 1.78 | 0.58 | 0.33 | 0.43 | 0.23 | 0.20 | 3.56 | 4.40 | 2.61 | 1.79 |
| 13 | हरियाणा | 6.99 | 10.63 | 8.60 | 2.03 | 1.39 | 1.76 | 1.30 | 0.46 | 0.47 | 0.38 | 0.15 | 0.23 | 0.37 | 0.49 | 0.18 | 0.32 |
| 14 | हिमाचल प्रदेश | 0.19 | 0.46 | 0.31 | 0.15 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.11 | 0.09 | 0.06 | 0.03 |
| 15 | जम्मू और कश्मीर | 0.63 | 1.17 | 0.82 | 0.35 | 0.19 | 0.29 | 0.20 | 0.09 | 0.09 | 0.15 | 0.11 | 0.04 | 0.02 | 0.06 | 0.03 | 0.04 |
| 16 | झारखंड | 1.55 | 2.27 | 1.33 | 0.94 | 0.46 | 0.44 | 0.29 | 0.15 | 0.05 | 0.06 | 0.02 | 0.05 | 0.56 | 0.62 | 0.34 | 0.28 |
| 17 | कर्नाटक | 7.30 | 9.67 | 5.45 | 4.23 | 2.94 | 3.52 | 2.59 | 0.93 | 1.44 | 1.65 | 0.88 | 0.78 | 8.27 | 12.98 | 7.75 | 5.23 |
| 18 | केरल | 0.34 | 0.73 | 0.45 | 0.28 | 0.07 | 0.18 | 0.10 | 0.07 | 0.25 | 0.53 | 0.32 | 0.21 | 0.57 | 0.60 | 0.37 | 0.23 |
| 19 | लक्षद्वीप | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | मध्य प्रदेश | 11.65 | 16.03 | 11.31 | 4.73 | 4.04 | 3.64 | 2.67 | 0.97 | 0.82 | 0.61 | 0.31 | 0.30 | 4.66 | 6.98 | 3.92 | 3.05 |
| 21 | महाराष्ट्र | 11.36 | 15.72 | 10.62 | 5.10 | 3.77 | 4.05 | 2.98 | 1.07 | 0.98 | 1.92 | 0.98 | 0.93 | 13.31 | 22.55 | 13.37 | 9.17 |
| 22 | मणिपुर | 0.12 | 0.18 | 0.14 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 23 | मेघालय | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | मिजोरम | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | नागालैंड | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | ओडिशा | 3.41 | 4.66 | 2.50 | 2.16 | 1.50 | 1.75 | 1.12 | 0.63 | 0.67 | 0.81 | 0.29 | 0.52 | 2.06 | 2.47 | 1.21 | 1.26 |
| 27 | पुदुचेरी | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
| 28 | पंजाब | 12.66 | 16.44 | 13.41 | 3.04 | 1.70 | 2.63 | 1.52 | 1.11 | 0.63 | 0.64 | 0.24 | 0.40 | 0.52 | 0.61 | 0.21 | 0.40 |
| 29 | राजस्थान | 7.24 | 12.02 | 8.87 | 3.15 | 3.38 | 2.80 | 2.21 | 0.59 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.10 | 0.85 | 1.47 | 0.71 | 0.76 |
| 30 | सिक्किम | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | तमिलनाडु | 3.02 | 4.99 | 3.25 | 1.74 | 0.87 | 1.17 | 0.66 | 0.52 | 0.68 | 0.76 | 0.45 | 0.32 | 3.01 | 3.98 | 2.17 | 1.80 |
| 32 | तेलंगाना | 7.74 | 8.51 | 5.06 | 3.45 | 2.13 | 2.29 | 2.02 | 0.27 | 0.63 | 0.57 | 0.20 | 0.37 | 7.66 | 8.27 | 5.45 | 2.80 |
| 33 | त्रिपुरा | 0.05 | 0.13 | 0.06 | 0.08 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
| 34 | उत्तराखंड | 0.76 | 1.01 | 0.81 | 0.20 | 0.15 | 0.30 | 0.15 | 0.14 | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.12 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
| 35 | उत्तर प्रदेश | 28.36 | 38.12 | 24.64 | 13.48 | 5.95 | 9.29 | 4.55 | 4.73 | 1.69 | 1.39 | 0.28 | 1.11 | 2.42 | 6.62 | 1.60 | 5.01 |
| **36** | पश्चिम बंगाल | **3.84** | **7.94** | **4.00** | **3.94** | **0.94** | **1.55** | **0.74** | **0.82** | **0.91** | **1.58** | **0.47** | **1.11** | **2.52** | **5.94** | **2.26** | **3.68** |
| | अखिल भारत | **131.66** | **186.28** | **124.46** | **61.83** | **37.80** | **45.15** | **29.07** | **16.08** | **11.96** | **14.73** | **6.32** | **8.42** | **57.55** | **91.55** | **48.22** | **43.33** |

1. सुविधाजनक उपलब्धता का प्राथमिक संकेतक: उपलब्धता > आवश्यकता

2. सुविधाजनक उपलब्धता का द्वितीयक संकेतक: उपलब्धता > डीबीटी  बिक्री

अनुलग्नक-ख

यह अनुलग्नक राज्य सभा के दिनांक 11.08.2026 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2584 उत्तर के भाग (क) से (घ) तक संबंधित है।

# अप्रैल 26 से जुलाई 26 (31.07.2026 के अनुसार) तक का कुल विवरण

## खरीफ मौसम अप्रैल 26 से जुलाई 26 (31.07.2026 के अनुसार) तक की अवधि के दौरान कालाबाजारी, जमाखोरी, विपथन आदि को रोकने तथा गुणवत्ता जांच के लिए राज्य सरकार द्वारा की गई कार्रवाई

| | | कालाबाजारी | | | जमाखोरी | | | घटिया गुणवत्ता | | | विपथन | | | | | | कुल | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य | निरीक्षण/छापों की संख्या | जारी कारण बताओ नोटिस | रद्द/निलंबित किए गए लाइसेंसों की संख्या | दर्ज एफआईआर | जारी कारण बताओ नोटिस | रद्द/निलंबित किए गए लाइसेंसों की संख्या | दर्ज एफआईआर | जारी कारण बताओ नोटिस | रद्द/निलंबित किए गए लाइसेंसों की संख्या | दर्ज एफआईआर | जारी कारण बताओ नोटिस | रद्द/निलंबित किए गए लाइसेंसों की संख्या | दर्ज एफआईआर | विवरण के साथ दोषसिद्ध* | गिरफ्तारियों की संख्या | ज़ब्त किए गए सामान की मात्रा (बोरियों के रूप में) | जारी कारण बताओ नोटिस | रद्द/निलंबित किए गए लाइसेंसों की संख्या | दर्ज एफआईआर |
| अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | शून्य | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| आंध्र प्रदेश | 5460 | 7 | 13 | 0 | 95 | 73 | 4 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | शून्य | 0 | 0 | 147 | 86 | 4 |
| अरुणाचल प्रदेश | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | शून्य | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| असम | 3327 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | शून्य | 0 | 0 | 18 | 4 | 0 |
| बिहार | 18022 | 718 | 686 | 63 | 1 | 149 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | शून्य | 0 | 0 | 719 | 835 | 78 |
| छत्तीसगढ | 5486 | 209 | 48 | 6 | 37 | 10 | 2 | 76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | शून्य | 0 | 30029 | 322 | 58 | 10 |
| दादर एवं नगर | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | शून्य | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| दिल्ली | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | शून्य | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| गोवा | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | शून्य | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| गुजरात | 7822 | 39 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 17 | 0 | 8 | 2 | 0 | 7 | शून्य | 0 | 0 | 62 | 5 | 17 |
| हरियाणा | 494 | 8 | 7 | 0 | 22 | 31 | 6 | 9 | 6 | 0 | 3 | 6 | 2 | शून्य | 0 | 0 | 42 | 50 | 8 |
| हिमाचल प्रदेश | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | शून्य | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| जम्मू एवं कश्मीर | 9226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | शून्य | 0 | 1562 | 0 | 0 | 1 |
| झारखंड | 727 | 14 | 0 | 0 | 31 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | शून्य | 0 | 0 | 45 | 3 | 1 |
| कर्नाटक | 17137 | 2132 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | शून्य | 0 | 4424 | 2215 | 2 | 7 |
| केरल | 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | शून्य | 0 | 2272 | 19 | 0 | 2 |
| मध्य प्रदेश | 1021 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 23 | 22 | 0 | शून्य | 0 | 0 | 23 | 22 | 13 |
| महाराष्ट्र | 42353 | 850 | 575 | 19 | 728 | 222 | 1 | 563 | 426 | 40 | 16 | 20 | 7 | शून्य | 0 | 0 | 2157 | 1243 | 67 |
| मणिपुर | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | शून्य | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| मेघालय | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | शून्य | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| मिजोरम | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | शून्य | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| नागालैंड | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | शून्य | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ओडिशा | 10318 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | शून्य | 0 | 246 | 5 | 4 | 2 |
| पुदुचेरी | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | शून्य | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| पंजाब | 1912 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 8 | 4 | 49 | 0 | 8 | शून्य | 0 | 0 | 116 | 8 | 12 |
| राजस्थान | 8450 | 712 | 22 | 2 | 139 | 28 | 6 | 126 | 0 | 1 | 167 | 1 | 6 | शून्य | 2 | 5058 | 1144 | 51 | 15 |
| तमिलनाडु | 5868 | 8 | 0 | 0 | 139 | 0 | 6 | 221 | 0 | 0 | 118 | 0 | 2 | शून्य | 0 | 290 | 486 | 0 | 8 |
| तेलंगाना | 11658 | 28 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | शून्य | 0 | 0 | 31 | 13 | 7 |
| त्रिपुरा | 1050 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | शून्य | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 |
| उत्तर प्रदेश | 11181 | 1092 | 363 | 26 | 47 | 58 | 2 | 87 | 69 | 5 | 23 | 58 | 8 | शून्य | 0 | 3826 | 1249 | 548 | 41 |
| उत्तराखंड | 376 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | शून्य | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| पश्चिम बंगाल | 16661 | 5 | 2 | 0 | 276 | 16 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | शून्य | 0 | 0 | 323 | 18 | 0 |
| **कुल** | **180091** | **5840** | **1729** | **129** | **1709** | **594** | **43** | **1343** | **515** | **69** | **417** | **113** | **53** | **0** | **2** | **47707** | **9309** | **2951** | **294** |

• - विवरण दिया जाना है – वाद संख्या, एफआईआर का वर्ष और वाद दर्ज करने का वर्ष तथा आदेश की तारीख

उपर्युक्त डाटा राज्य द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार संकलित किया गया है